महाविद्यालय–उद्भव एवं विकास
(College-Inception and Development)

पुण्य सलिला माँ गंगा के सुरम्य तट तथा टिहरी झील (टी.एच.डी.सी.) के अन्तिम छोर एवं उत्तरकाशी–टिहरी के मध्य यह स्थान मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ है। इस सुरम्य तथा काशी विश्वनाथ की पावन धरती पर 01 अगस्त, 2001 को राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीसौड़ की स्थापना हुई। शासनादेश के अनुसार प्राचार्य सहित सात विषयों– हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा भूगोल के साथ इस महाविद्यालय की स्थापना स्थानीय लोगों की माँगों पर की गई थी। महाविद्यालय का शिक्षण सत्र 2001–02 से प्रारम्भ हुआ। उस समय छात्र संख्या मात्र 62 थी जो क्रमशः बढ़ते–बढ़ते सत्र 2013–14 में 551 तक पहुँच गई। महाविद्यालय में वर्ष 2016 में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से बी0एस0सी0 की कक्षाओं का सफल संचालन किया जा रहा है जिसमें जन्तु विज्ञान,वनस्पति विज्ञान,भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषय प्रमुख है।सीमित संसाधनों के बावजूद महाविद्यालय की शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक गतिविधियाँ सुचारु रूप से संचालित होती है। 2005–06 में इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 100 छात्र/छात्राओं की एक इकाई प्रारम्भ हुई। इस महाविद्यालय में बी0ए0 एवं बी0एस0सी0 की संस्थागत परीक्षाओं का सफल संचालन किया जाता है।

सम्बद्धता (Affiliation)

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक यू0ओ0 संख्या–02/XXIV(7) 2017 उच्च शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 10 अगस्त 2017 तथा निदेशक,उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान /38–40/2018–19 दिनांक 04 अप्रैल 2018 द्वारा महाविद्यालय को इस स्नातक प्रथम सेमेस्टर में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त है।

स्नातक Vसे VI सेमेस्टर की सम्बद्धता हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से रहेगी।

1. प्रवेश प्रक्रिया एवं सामान्य प्रवेश नियम
(Admission Process and General Rules of Admission)

प्रवेशार्थी आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व निम्नांकित नियम अवश्य पढ़ लें तथा प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक अर्हता पूर्ण करने के पश्चात ही प्रवेश आवेदन पत्र भरें। जिस प्रवेशार्थी के पास न्यूनतम आवश्यक अर्हता नहीं है, फिर भी वह आवेदन करता है तो वह किसी भी प्रकार के प्रवेश का दावेदार नहीं होगा।

1. महाविद्यालय में बी0ए0/ बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु श्रेष्ठता/मैरिट फार्म महाविद्यालय की वेवसाईड www.gdccu.org.inसे दिनांक 05 अगस्त 2020 से डाउनलोड करके दिनांक 28 अगस्त 2020 तक मेरिट फार्म पूर्णतया भरकर तथा उसमें सभी संलग्न शैक्षणिक वरियाता प्रमाण पत्र/ आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रथम स्नातक वर्ष के कला वर्ग के प्रवेशार्थी/ अभिभावक इस महाविद्यालय के कर्मचारी श्री सुखदेव नेगी एवं विज्ञान वर्ग प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी/ आभिभावक श्री जितेन्द्र सिह पंवार के पास पंजीकरण शल्क 50/– रू0 के साथ जमा करेगें।

   मेरिट में नाम आने पर ही प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र डाउनलोड कर महाविद्यालय में साक्षातकार हेतु टी0सी0/ सी0सी0 की मूल प्रति, समस्त शैक्षणिक एवं आरक्षण के मूल प्रमाण पत्रो के साथ साक्षातकार समिति के समुख उपस्थित होना होगा। श्रेष्ठता आवेदन–पत्र में जिस वर्ग में आरक्षण लेना चाहते हैं, उस वर्ग का आरक्षण प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के समय भी लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अपूर्ण श्रेष्ठता (मेरिट) एवं पंजीकरण आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगें। मेरिट फार्म में दी गई सूचना को वास्तविक (सत्य) मानते हुये मेरिट तैयार की जाएगी जो कि अपरिवर्तनीय होगी, और गलत सूचना के आधार पर किसी भी विसंगति के लिये प्रवेशार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यह जानना भी महत्वपूर्ण है के मेरिट सूची में नाम आने पर यदि निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आपकी दावेदारी स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। और आपके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार दूसरे प्रवेशार्थी को अवसर प्रदान किया जायेगा। अतः सभी सूचनायें भली–भांति सोच समझकर भरें।

2. स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा एक प्रवेश आवेदन–पत्र के आधार पर विषयों में प्रवेश पर विचार संभव नहीं होगा।
3. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र जमा नहीं किया जाएगा।

   (अ) अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी॰सी॰) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी॰सी॰)।

   (ब) विगत समस्त परीक्षाओं के अंक पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ।

   (स) हाईस्कूल प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि (आयु प्रमाण पत्र के लिये)।

   (द) पासपोर्ट आकार के नवीनतम चार रंगीन फोटो।

   (य) विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद तथा एन॰एस॰एस॰/स्काउट/ध्रुवपद/ गुरुपद/ साक्षरता/ एन॰सी॰सी॰ प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ।

   (र) अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक वर्ष से अधिक अन्तराल (गैप ईयर) होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। एक वर्ष के अन्तराल होने पर प्रवेशार्थी को स्टाम्प पेपर पर गैप सम्बन्धि शपथपत्र प्रस्तुत करना

आवश्यक है तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम (छः माह से अधिक पुराना न हो) चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ल) अनुसूचित जाति / जनजाति / उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग / स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / विकलांग प्रवेशार्थियों को सक्षम अधिकारी (एस॰डी॰एम॰ / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र व आय प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

4. **प्रवेश के लिए आवश्यक समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ ही जमा करने होंगे।** आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र आवेदन पत्र में संलग्न नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। जिस छात्र / छात्रा के प्रमाण पत्रों में नाम की त्रुटि है, उसे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों नाम उसी के हैं। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है।
5. स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट या समकक्षीय परीक्षा में 45 प्रतिशत कला एवं वाणिज्य के लिए स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है परन्तु 44.9 प्रतिशत अथवा 39.9 प्रतिशत को क्रमशः 45 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत नहीं माना जायेगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये प्रवेश अर्हता में स्नातक स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट होगी।
6. यदि कोई बाह्य अथवा व्यक्तिगत छात्र / छात्रा स्नातक तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है तो स्थान रिक्त होने की स्थिति में अर्हता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक कला / वाणिज्य के लिये 40 प्रतिशत एवं विज्ञान के लिये 45 प्रतिशत होने की दशा में ही प्रवेश दिया जा सकता है।
7. आरक्षण लाभ उत्तराखण्ड शासनादेश सं॰ 1144 / कार्मिक / 2 / 2001 / 53 (1) / 2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप अनुमन्य होगा। इसके लिये अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर क्रमशः 19 प्रतिशत, 4 प्रतिशत व 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेश में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(क) महिलायें 30 प्रतिशत

(ख) भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत

(ग) विकलांग 03 प्रतिशत

(घ) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत महिला / पुरुष जिस वर्ग से संबन्धित होंगे उन्हें उसी वर्ग में क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। परन्तु उपर्युक्त सभी आरक्षण तभी मान्य होगें जब प्रवेशार्थी प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता रखते हों। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत जिन जातियों को अधिसूचित किया गया है, उनको ही ''अन्य पिछड़े वर्ग'' के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

8. **स्नातक स्तर पर केवल प्रथम वर्ष में एक बार अनुत्तीर्ण हुए इस महाविद्यालय के संस्थागत छात्र / छात्रा को ही संकाय बदलकर प्रवेश दिया जायेगा। एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण छात्र / छात्रा को संकाय बदलकर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
9. गत वर्ष के महाविद्यालय के संस्थागत छात्रों के लिये प्रवेश आवेदन पत्र के साथ विगत परीक्षा के अंक पत्र की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है। संस्थागत छात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रवेशार्थियों के लिये प्रथम बार प्रवेश लेते समय समस्त परीक्षाओं के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां जमा करनी आवश्यक है।
10. स्नातक स्तर पर केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध संसाधनों व स्वीकृत सीटों की संख्या के अन्तर्गत ही दिया जायेगा।

11 संकाय अथवा विषय बदल कर किसी भी छात्र / छात्रा को उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो।

12. स्नातक स्तर पर दो प्रवेशार्थियों के मेरिट सूचकांक बराबर होने पर सम्बन्धित विषय के कुल अंको के सूचकांक के आधार पर मेरिट तय की जायेगी। सम्बन्धित विषय के कुल अंको के बराबर होने पर प्रवेशार्थी की मेरिट उसके उस विषय के केवल सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र (थ्योरी पेपर) अंकों के आधार पर ही तय होगी। जहां प्रयोगात्मक विषय न हो जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
13. स्नातक प्रथम वर्ष के व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश, साक्षात्कार में सम्मिलित हुये प्रवेशार्थियों की मेरिट के आधार पर यू॰जी॰सी॰ / शासन द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या के अन्तर्गत ही किये जायेंगे।
14. प्रवेशार्थियों द्वारा प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर यदि कोई भी विवरण असत्य पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, तथा उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

15. शासकीय आदेश सं०अ०शा० 2421/15&10&85–15/134/86 दिनांक 8 मई 1987 के अनुसार अपराधिक पृष्ठभूमि अवांछनीय तत्वों अथवा अध्ययन में रुचि न रखने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यदि प्रवेश दिया जा चुका है तो इस तथ्य का पता लगने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
16. एक बार प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश नहीं हो सका है, अन्यत्र प्रवेश लेने के पश्चात स्थानान्तरण से प्रवेश चाहता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जायेगा साथ ही मिथ्या एवं अपूर्ण सूचनाएं प्रकाश में आने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
17. सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिये 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिये होंगी। उत्तराखण्ड के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर इस प्रतिबन्ध के साथ ही प्रवेश मिल सकेगा कि वे वरीयता सूचकांक में अर्ह होंगे। इन्हीं 10 प्रतिशत स्थानों में नियमानुसार आरक्षण प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को देय होगा।
18. प्रवेश आवेदन पत्रों पर प्राचार्य द्वारा नियुक्त साक्षात्कार समिति विचार करेगी तथा प्रवेशार्थियों को सूचना पट्ट पर सूचना देकर साक्षात्कार हेतु सूचित किया जायेगा। प्रवेशार्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जायेगा। मेरिट सूची महाविद्यालय की वेवसाईड़ पर अपलोड कर दी जायेगी।
19. प्रवेश हेतु स्वीकृत विद्यार्थियों की सूची महाविद्यालय/विभागीय सूचनापट्ट पर लगा दी जायेगी। छात्र/छात्रा से इस संदर्भ में अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
20. शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानान्तरण के कारण सेवारत कर्मचारियों के पाल्यों (पुत्र/पुत्री/पत्नी) के प्रवेश आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब रिक्त स्थान हों तथा उन्होंने जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया हो, ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरण एवं कार्यभार ग्रहण करने की प्रतिलिपि भी आवेदन पत्र के साथ जमा करनी आवश्यक है।
21. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर अधिकतम छः (6) वर्ष के अन्तर्गत ही अध्ययन करने की सुविधा होगी। इस अवधि में 1–1 साल का गैप भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्ययन करने की अनुमति नहीं होगी।
22. शासन/विश्वविद्यालय से वर्तमान सत्र हेतु अतिरिक्त प्रवेश नियम प्राप्त होने पर भी तदनुसार आवश्यक परिवर्तन कर दिया जायेगा।
23. प्राचार्य को बिना कारण बताए प्रवेश को अस्वीकृत करने, प्रवेश न देने एवं निरस्त करने का अधिकार है। जिसका कारण स्पष्ट करना आवश्यक नही है।
24. स्नातक स्तर पर जहां प्रवेश हेतु सीटें निर्धारित है उनमें सीट रिक्त होने पर भी प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
25. स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा के परीक्षाफल निकलने के 10 दिन के अन्दर अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
26. **दूसरे विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आये छात्र/छात्राओं का प्रवेश विश्वविद्यालय की अनुमति के उपरान्त ही देय होगा। परन्तु महाविद्यालय से प्रार्थना पत्र को अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य है।**
27. प्रवेश प्रतिबन्ध :–निम्नांकित श्रेणी के प्रवेशार्थी प्रवेश के पात्र नहीं होगें।
    (क) किसी भी कारण से विगत परीक्षा में सम्मिलित होने से रोके जाने पर ।
    (ख) विगत वर्षो में जिनका आचरण अनुशासन मण्डल/ प्राचार्य के विचार से असन्तोष जनक रहा हो।
    (ग) अनुचित साधन प्रयोग करने के अन्तर्गत दण्ड़नीय छात्र/ छात्रा ।
    (घ) एक वर्ष से अधिक का व्यवधान होने पर।
    (ड़) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुनः विषय/संकाय बदलकर प्रवेश हेतु आवेदन करने पर।
28. दूसरे विश्वविद्यालय से आये छात्रों को प्रवजन प्रमाण–पत्र परीक्षा फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य है।
29. छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी। तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।
30. विश्वविद्यालय अथवा शासन से अतिरिक्त निर्देशों के प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी शुल्क में परिवर्तन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
31. संस्थागत छात्र उपाधि/डिप्लोमा/सार्टिफिकेट हेतु एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि/डिप्लोमा/सार्टिफिकेट हेतु परीक्षा में शामिल होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लघंन कर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। उदाहरणार्थ–बी०ए०/बी०एस–सी०/बी०कॉम० में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा बी०टी०सी०/पॉलिटैक्निक/फार्मेसी/आई०टी०आई०/अन्य कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। एड–ऑन सार्टिफिकेट पर यह नियम लागू नहीं होगा।

32. उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

33. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग (जिसके प्रधान डा॰ प्रभात शास्त्री हैं) 12 सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद से अंग्रेजी विषय लेकर 10+2 पांच विषयों सहित मध्यमा (विशारद) परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी बी॰ए॰ प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकेंगे। इसकी सत्यता हिन्दी साहित्य सम्मेलन 12 सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद से की जायेगी।

34. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (पूर्वतः रा॰मु॰वि॰) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्न्तगत सीनियर सेकेण्डरी स्कूल (10+2) पांच विषयों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

35. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान (ड्रेसकोड) तथा परिचय पत्र के साथ मे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्धारित परिधान अथवा बिना परिचय पत्र के आने पर महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।

36. प्रवेश के समय विद्यार्थियों को विषयों का चयन अच्छी प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन नहीं होगा।

37. प्रवेशार्थी शुल्क जमा रसीद की तीन पूरित प्रतियों को प्रवेश समिति से प्राप्त कर जिला सहकारी बैंक चिन्यालीसौड में जमा करना होगा।

(क) जिला सहाकारी बैक चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी । (अपराह्न 10:00 बजे से 4:00 बजे तक) शाखा में निर्धारित शुल्क जमा कर ''विद्यार्थी वाली रसीद'' बैंक से प्राप्त कर महाविद्यालय के डाटाएन्ट्री प्रकोष्ठ पर उपलब्ध करायें, ऐसा करने पर ही प्रवेश पूर्ण हुआ माना जायेगा।

38. श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत उपस्थिति न होने की दशा में छात्र/छात्रा को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। आगामी सत्र से विद्यार्थी की कम उपस्थिति की सूचना एस॰एम॰एस॰ द्वारा अभिभावक को प्रेषित की जायेगी।

39. महाविद्यालय के परिसरों/छात्रावास में छात्र–छात्राओं का प्रेवश परिचय–पत्र जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा। अभिभावकों/बाह्य व्यक्तियों के लिए प्रवेशन पंजिका बनायी जायेगी।

संकायवार प्रवेश नियम
(Faculty wise Adission-Rules)

(अ) विज्ञान संकाय

1. स्नातक विज्ञान वर्ग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु नियम

स्नातक विज्ञान वर्ग के बी॰एस–सी॰ प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो इण्टरमीडिएट स्तर तक विज्ञान के छात्र रहे हैं। अनुवर्ग का चयन करते समय प्रवेशार्थी को यह ध्यान रखना होगा कि चयनित वैकल्पिक विषयों में से कम से कम दो ऐसे विषय होंगे, जिन्हे छात्र/छात्रा ने इण्टरमीडिएट स्तर तक पढ़ा हो।

छात्र/छात्रा निम्नलिखित अनुवर्गों में से कोई एक अनुवर्ग ले सकते हैं–

1- भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान 2. वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान।

2- विज्ञान संकाय में विषयवार उपलब्ध सीटो की संख्या निम्न प्रकार है।

क्र0स0	विषय	सीटो की संख्या
1	भौतिक विज्ञान	60
2	गणित	60
3	जन्तु विज्ञान	60
4	बनस्पति विज्ञान	60
5	रसायन विज्ञान	120

बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्यता सूचकांक निर्धारण हेतु नियम

1. प्रवेश के लिये इण्टरमीडिएट या समकक्षीय परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है, परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर ही किये जायेंगे।
2. इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. स्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा योग्यता सूचकांक अथवा मेरिट के आधार पर होगा।
4. प्रवेश के लिये योग्यता सूचकांक का निर्धारण निम्नवत होगा।

(क) इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक का प्रतिशत

(ख) अधिभार निर्धारण हेतु देय अंक निम्नवत होंगे।

(ग) (i) राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाले को क्रमशः 05 और 07 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(ii) एन०एस०एस० एवं एन०सी०सी० 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 01 अंक तथा 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 02 अंक देय होंगे।

(iii) ध्रुवपद / गुरुपद धारक को 2 अंक देय होगें।

नोटः–उपरोक्त वर्णित ग (i से iii) तक की श्रेणी में आने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में 07 अंक से अधिक का लाभ नहीं दिया जायेगा

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों / भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों तथा विकलांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ उन्हें सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / ऑफिसर कमांडिग / सचिव पुनर्वास / सैनिक कल्याण / मुख्य चिकित्साधिकारी) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

परिचय पत्र
(Idntity Card)

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र / छात्रा को अपने पास परिचय पत्र रखना अति आवश्यक होगा। अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय विद्यार्थी ने परिचय–पत्र नहीं दिखाया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय –पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखें। **परिचय–पत्र खो जाने पर इसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दें तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर 50.00 नकद जमा करने पर ही दूसरा परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। विद्यार्थी को शुल्क रसीद अनिवार्यतः सुरक्षित रखनी चाहिए। उसे कभी भी सत्यापन के लिये मांगा जा सकता है।**

निर्धन छात्र सहायता कोष
(Por Boys' Fund)

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता न मिल पायी हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद के पास कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उपस्थिति नियम
(Rules for Attendance)

शासनादेश संख्या–528 (1) 15 (उ०शि०) 71 / 97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो।
   (ब) किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित साक्ष्य देने पर।
2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन०सी०सी० शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स–रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता में मार्जन कर दिया जायेगा। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है।

नोटः–प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स–रेंजर्स शिविरों में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय पुस्तकालय
(College Library)

महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र–छात्राओं की सुविधानुसार पुस्तकें प्राप्त करने के लिये तिथियां निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिनों में पुस्तकें वर्ष भर निर्गत की जाती है।

1. पुस्तक प्राप्त करने हेतु निर्धारित मांग पत्र भर कर पुस्तकालय में जमा करना होता है, यदि वह पुस्तक किसी को न दी गई हो तब वह छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र दिखाने पर ही मिल सकती है।
2. एक समय में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 पुस्तकें पुस्तकालय कार्ड पर दी जा सकती हैं जो कि 14 दिन में निर्धारित तिथि तक पुस्तकालय में लौटानी होती है। निर्धारित तिथि पर पुस्तक न लौटाने पर 10 रुपये प्रतिदिन अर्थदण्ड लगेगा।
3. कोई भी पत्रिका नई या पुरानी परिचय–पत्र पर नहीं दी जायेगी। जो छात्र/छात्रा इन्हें पढ़ना चाहते हैं वे वाचनालय में अपना परिचय पत्र जमा कर पढ़ सकते हैं।
4. संदर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होंगी।
5. पुस्तकों को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले की होती है। यदि कोई पुस्तक फट जाय, गन्दी हो जाय एवं किसी भांति नष्ट हो जाय तो पुस्तक लेने वाले को नई पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय उसकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए कि पुस्तक की दशा ठीक है या नहीं अन्यथा क्षति हेतु पुस्तक लेने वाले उत्तरदायी होंगे। पुस्तकों पर नाम व अन्य विवरण लिखना सर्वथा वर्जित है। उक्त नियम का उल्लंघन करने पर नई पुस्तक या उसका मूल्य जमा करना होता है। यदि पुस्तकालय से पुस्तक खराब हालत में मिलती है तो इस आशय का प्रमाण पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तक दिखाकर लेना चाहिए।
6. परीक्षा से पूर्व पुस्तकें लौटाकर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

वाचनालय
(Reading Room)

छात्र/छात्राओं के लिये सदैव समाचार पत्र, मासिक पत्रिकायें पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये महाविद्यालय के दोनों परिसरों में वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि खाली समय पर पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट प्रयोगशाला
(Computer Networking and Internet Laboratory)

महाविद्यालय के स्नातक स्तर के छात्र/छात्रों हेतु इन्टरनेट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जिसमें उक्त कक्षाओं के छात्र–छात्राएं अपने विषय का आधुनिकतम ज्ञान इण्टरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोगशाला की सदस्यता हेतु अलग से सदस्यता शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल
(Career Counselling and Placement Cell)

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, उनमें क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास तथा स्पर्द्धा उत्पन्न करने हेतु एक कैरियर काउन्सलिंग सेल स्थापित की गयी है। उन्हें स्वावलम्बी बनाने, रोजगार परक सूचनाओं से अवगत कराने तथा विविध प्रकार के परामर्श देने हेतु काउन्सलिंग सेल उपयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

अभिभावक–शिक्षक परिषद
(Parent & Teacher Association)

जिस प्रकार भूतपूर्व छात्र परिषद् में छात्रों के हितार्थ भूतपूर्व विद्यार्थियों को उनकी सहयोगिता तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें महाविद्यालय में बुलाया जाता है। उसी प्रकार महाविद्यालय की सर्वांगीण उन्नति एवं छात्र कल्याण हेतु अभिभावक–शिक्षक परिषद् का गठन किया जाता है। प्राचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पद का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा सचिव पद पर किसी एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों का चुनाव भी अभिभावकों में से ही किया जाता है।

महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ
(Women's Harassment Redressal Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख–रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।

अनुशासन एवं शास्ता मण्डल
(Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Proctcr) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक–एक शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है। अनुचित आचरण करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून विरुद्ध कार्य न करें और न ही अशान्ति फैलायें, यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराध :–

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना ।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है)।
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लघंन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेध :–

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में चूइंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय–पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।
8. **महाविद्यालय परिसर में मल्टीमीडिया फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। शास्ता मण्डल द्वारा कभी भी जांच के समय उक्त फोन के पाये जाने पर फोन जब्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।**

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय–पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय–पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
2. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
4. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

रैगिंग एक कानूनी अपराध
(Ragging : A Legal Offence)

कालेजों में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। रैगिंग एक असमाजिक, आपराधिक एवं अमानवीय कृत्य है जिसे हर दशा में रोका जाना चाहिए। इस आपराधिक कृत्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। इसमें ढाई लाख रुपये तक का अर्थदण्ड भी सम्मिलित है। इसमें दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध रैगिंग समिति अपराध के गम्भीरता को देखते हुये निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है।

1. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना ।
2. महाविद्यालय से निष्कासन /निलम्बन किया जाना।
3. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना।
4. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी।
5. अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार मुकदमा चलाया जाना भी सम्मिलित है।

रैगिंग का तात्पर्य

किसी छात्र/छात्रा को बोलकर लिखकर, संकेत द्वारा, हाव–भाव से या शारीरिक गतिविधियों से क्षति पहुंचाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना नवीन प्रवेशार्थी व कनिष्ठ छात्र/छात्राओं को डराना, धमकाना उन्हें मानसिक आघात पहुंचाना, हतोत्साहित करना, परेशान करना उनके क्रियाकलापों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा उन्हें उन कार्यों को करने के लिये बाध्य करना जिन्हें वे करना नहीं चाहते या शर्म महसूस करते हैं या जिन्हें करने में उन्हें असहजता अनुभव होती हो या उन्हें मानसिक रूप से कष्ट होता हो। इसके अतिरिक्त किसी छात्र/छात्रा को दुष्कृत्य हेतु प्रेरित करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है।

रैगिंग निरोधक समिति/रैगिंग निरोधक दस्ता

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं॰ 310/04 ए॰आई॰ए॰ दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 27 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये यू॰जी॰सी॰ एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti Ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti Ragging Squad) का गठन किया जाता है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोरतम् कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप
(Co-Curricular Activities)

1. छात्रसंघ–छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P. (Civil) No. 24295/2004/ दिनांक 26&6&2004 जो महाविद्यालय भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV (6)/2007-3 (दिनांक 27&02&2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध 168/2001 महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर संपन्न कराये जायेंगे।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना–''मैं नहीं परन्तु आप'' (Not Me But You) की भावना पर आधारित रा॰से॰यो॰ के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियाँ संचालित होती हैं जैसे–शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि) के लिये कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम वर्तमान में महाविद्यालय में रा॰से॰यो॰ की एक इकाई कार्यरत हैं, जिसके तहत 100 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण पत्र) एवं एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं, सत्र 2004–05 से वि॰वि॰ द्वारा रा॰से॰यो॰ 'बी' व 'सी' प्रमाण पत्रों की परीक्षायें भी आयोजित की जाती है। जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जायेगा। एन॰सी॰सी॰ में पंजीकृत छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी बनने हेतु अर्ह नहीं है।

3. रोवर्स एवं रेंजर्स–महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक समरसता, जनचेतना, दक्षता, सेवाभाव एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिये भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ड के निर्देशन में महाविद्यालय ने रोवर–रेंजर की इकाई दिनांक 30 दिसम्बर 2003 को स्थापित हुई, जिसमें रोवर्स एवं रेंजर्स के 12–12 स्थान निर्धारित हैं। इन्हें क्रमशः हिमाद्रि एवं गंगोत्री नाम से पंजीकृत किया गया है। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है। जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता हैं। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उपराष्ट्रपति प्रमाण पत्र सहित, प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण–पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं। जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित है।

4. विभागीय परिषदें—महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी—अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक सह—शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ—साथ भ्रमण आदि में प्रतिभाग करते हैं। अन्तर्विभागीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक दिया जाता है।

7. क्रीड़ा एवं खेलकूद—''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है'' महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ—साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिया संचालित की जाती है। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर विभिन्न अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, बॉलीवॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेलों की सुविधा उपलब्ध है।

स्वच्छ भारत अभियान
(Mission Clean India)

'राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान' के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाये रखने हेतु सप्ताह में एक दिन कक्षावार प्रत्येक छात्र/छात्रा, प्रध्यापक एवं कर्मचारी स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे। परिणामस्वरुप, महाविद्यालय परिसर स्वच्छ बने रहेंगे और इनके आस—पास के क्षेत्र भी साफ—सुथरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी की यह जिम्मेदारी भी होगी कि कूड़ा—करकट केवल महाविद्यालय में रखे प्लास्टिक के कूड़ेदान में ही डालें अन्यत्र नहीं फेंके तथा तम्बाकू, गुटका, खैनी तथा इनसे सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का सेवन न करें, ताकि महाविद्यालय का पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। यदि कोई व्यक्ति परिसर या इसके आस—पास गन्दगी एवं प्रदूषण फैलाते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

'नमामि गंगे' परियोजना के अन्तर्गत नदी—नालों एवं आस—पास के परिवेश को स्वच्छ रखा जाना है। इसमें शिक्षक/कर्मचारी/विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका सामान्यतः तथा एन॰एस॰एस॰, एन॰सी॰सी॰ एवं रोवर्स—रेंजर्स के स्वयं सेवकों की सक्रिय भूमिका विशेष रुप में निर्धारित की गई है।

अनुपालनीय बिन्दु

(अ) उत्तराखण्ड शासन के नवीनतम आदेश के आलोक में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने हेतु महाविद्यालय के मुख्य परिसर में प्रत्येक कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 10:00 बजे तथा अपराह्न 4:00 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत का वादन किया जायेगा।

(ब) केन्द्र शासन द्वारा प्रेरित तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** अभियान को शासन के निर्देशानुसार प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा।

(स) अध्ययनरत छात्र—छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन द्वारा दर्ज करायी जायेगी। शुरुआत में परास्नातक विद्यार्थियों पर इसे लागू किया जायेगा। स्नातक विद्यार्थियों हेतु बाद में निर्णय लिया जायेगा।

(द) 75 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता को कठोरता से लागू किया जायेगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। अतः नये सत्र से पुस्तकों को कम्प्यूटर विधि से निर्गत किया जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

(Important Instructions for Admission)

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन सर्टिफिकेट एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में लगाना आवश्यक है।
3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ खेल एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां लगायी जानी आवश्यक है।
4. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (रंगीन) को उचित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
5. प्रवेश मिलने के पश्चात सामान्यतः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गन विषय परिवर्तन कर सकती है।
6. प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार किया नहीं जायेगा।
7. महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश देने हेतु मना कर सकता है या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
8. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अन्तिम अधिसूचित तिथि से पूर्व एक मुश्त वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अन्तिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
9. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग/ विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहन) को यदि वे अर्ह हों तो सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
11. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
12. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः— विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सम्बन्धी नियमों में समय—समय पर किये गये परिवर्तन महाविद्यालय पर भी लागू होंगें।

प्रवेश नियम सत्र 2020—21

(Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें।

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राचार्य, प्रवेश समितियों का गठन करेंगें जो अलग—अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगें। तत्—तत् संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
2. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला संकाय में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
3. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक—2—2001—53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत है —

अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणियों के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा— महिला 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत, दिव्यांग 04 प्रतिशत, स्वतंत्रता सग्राम सैनानी आश्रित 02 प्रतिशत। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।

उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्तें वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो। उत्तराखण्ड के बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड केअभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा।

4. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते उन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
5. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए तभी अर्ह हैं यदि दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हैं।
6. प्रवेश विषयों में निर्धारित सीटों पर ही होगा।
7. संस्थागत प्रवेशार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत प्रवेशार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी/लोकसभा/विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 प्रथम वर्ष एवं बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगें जिसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
9. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण पत्र(CC) मूल रूप से संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति /प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वंय उपस्थित होना होगा ताकि उसके छाया चित्र एवंम प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
11. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप– आउट भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हे। ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन–पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हों।
12. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैद्य कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जासकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानरन्तरण प्रमाण पत्र/प्रव्रजन पत्र एवत् चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर (छः) वर्ष तक ही सस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेगें जिन्होने पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वे चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है।
14. जिन छात्रों की गतिविधियॉ नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नही दिया जायेगा।
15. संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नही किया जायेगा।
16. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा।
17. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगे।
18. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एंव परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
19. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेगें उनकी सूचना समय–समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी इन्ही सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेगें।
20. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और ना ही उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वद्यिालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
21. यदि किसी छात्र ने बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की और द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत रूप में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
22. **उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
23. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी को प्रवेश तिथि में 30 दिनों के छूट के साथ–साथ न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
24. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जायेगा और कानून के दायरे में आ जायेगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एन्टीरैंगिक सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
25. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्ष तक का अन्तराल को और वे प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है परन्तु इस समय अन्तराल का शपथपत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराना होगा जिसमें समक्ष अधिकारी संतुष्ट हों।
26. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जायेगा।
27. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी तो उस

अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 06 वर्ष में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि तक निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश देंगें।
2. स्नातक स्तर पर प्रवेश मैरिट के आधार पर दिये जायेंगें।
3. योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनायी जायेगी।
4. अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आवंटित कर अन्तिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जायेगा :–

(i) एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 02 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 03 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 05 अंक। **(अधिकतम 05 अंक)**

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए' 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घण्टे + दो विशेष शिवरों को 02 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 03 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/ गणतंत्र दिवस परेड को 05 अंक। **(अधिकतम 05 अंक)**

(iii) स्काउट के पद सोपान–1 धारक को 05 अंक तथा पद सोपान–3 धारक को अतिरिक्त 02 अंक देय होगें, निपुण धारक को 01 अंक, राज्य पुरस्कार को 02 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार को 03 अंक देय होंगें। **(अधिकतम 05 अंक)**

नोटः– उपरोक्त प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में 07 अंको से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

(v) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के अधिनस्थ अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को 03 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोटः– अधिकतम देय अंक 15 ही होंगें।

विज्ञान संकाय (FACULTY OF SCIENCE)

बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम –

बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थियों को निम्न संवर्गों में से वही संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उनके इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण की हो अर्थात गणित संवर्ग (गणित, रसायन, भौतिक) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग तथा प्राणी विज्ञान संवर्ग (वनस्पति, रसायन, जन्तु), से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राणी विज्ञान संवर्ग के विषय ही मान्य होगें। अभ्यर्थी वरीयता क्रम अपने संवर्ग में तीन विषय, प्रवेश आवेदन पत्र पर अंकित करेंगें।

कला संकाय (FACULTY OF ARTS)

बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम –

1. बी0ए0 प्रथम वर्ष में छात्र को तीन विषयों में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. कोई भी छात्र भूगोल के साथ इतिहास का चयन नहीं कर सकता।
3. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ उत्तीर्ण की हो।
4. केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
5. गणित के साथ मात्र अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय लिये जा सकते हैं।
6. कला संकाय में निम्न विषय महाविद्यालय में सचालित है जिनमें स्वीकृत सीटो का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0स0	विषय	सीटो की संख्या
1	हिन्दी	80
2	अग्रेजी	80
3	अर्थशास्त्र	80
4	समाजशास्त्र	80
5	राजनीति विज्ञान	80
6	इतिहास	80
7	भूगोल	80

<u>**प्राध्यापकों की सूची**</u>

क्र0सं	प्राध्यापक	पद
1.	प्रो0 संगीता मिश्रा	प्राचार्य
2.	डॉ0 विक्रम सिंह	असि0 प्रो0 समाजशास्त्र
3.	श्री प्रमोद कुमार	असि0 प्रो0 अर्थशास़्त्र
4.	डॉ0 शैला जोशी	असि0 प्रो0 हिन्दी
5.	डॉ0 मंजू भण्डारी	असि0 प्रो0 भूगोल
6.	श्री दिनेश चन्द्र	असि0 प्रो0 गणित
7.	डॉ0 रजनी लस्याल	असि0 प्रो0 रसायन विज्ञान
8.	श्री बृजेश चौहान	असि0 प्रो0 जन्तु विज्ञान
9.	कु0 कृष्णा डबराल	असि0 प्रो0 भौतिक विज्ञान
10.	श्री खुशपाल	असि0 प्रो0 इतिहास
11.	डॉ0 श्रीहरि प्रसाद	गैस्ट फैकल्टी राजनीति विज्ञान
12.	डॉ0 अशोक कुमार अग्रवाल	गैस्ट फैकल्टी बनस्पति विज्ञान
13.	श्री आलोक बिजल्वाण	गैस्ट फैकल्टी अंग्रेजी

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची

1.	श्री मोहन लाल शाह	बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री सुखदेव सिंह नेगी	प्रयोगशाला सहायक वनस्पतिविज्ञान
3.	श्री रोशन लाल जुयाल	प्रयोगशाला सहायक भौतिकी
4.	श्रीमती संगीता थपलियाल	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष
5.	श्री स्वर्ण सिंह गुलेरिया	कनिष्ठ सहायक
6.	श्री मदन सिंह	प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान
7.	श्री जितेन्द्र सिंह पंवार	प्रयोगशाला सहायक जन्तु विज्ञान
8.	श्री कौशल सिंह बिष्ट	पुस्तकालय लिपिक
9.	श्री धनराज बिष्ट	प्रयोगशाला सहायक भूगोल
10.	श्री सुनील गैरोला	अनुसवेक
11.	श्री अमीर सिंह	अनुसेवक
12.	श्री जय प्रकाश भट्ट	अनुसेवक
13.	श्री सुरेश चन्द रमोला	अनुसेवक
14.	श्री संजय कुमार	स्वच्छक

सत्र– 2020–21 ड्रस कोड (DRESS CODE)

स्नातक छात्र

शर्ट– क्रीम कलर

पैंट–ब्राऊन कलर।

टाई – डार्क ग्रे।

स्वेटर– काला।

जूता– काला

मोजा– सफेद

स्नातक छात्रायें

कुर्ता– ब्राऊन कलर बन्द कॉलर फुल बाजू।

सलवार–क्रीम कलर ।

दुपटटा– सफेद कॉटन।

स्वेटर – काला ।

जूता – काला ।

मोजा – सफेद ।

शैक्षणिक कैलेण्डर 2020–21

Academic Calendar 2020-21

1	शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	01–09–2020
2	स्नातक प्रथम वर्ष में ऑनलाइन श्रेष्ठता (मेरिट) आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय में पंजीयन शुल्क रू0 50/– नगद जमा करने की तिथि।	05–08–2020 से 28–08–2020 तक
3	श्रेष्ठता (मेरिट) आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	28–08–2020
4	स्नातक प्रथम वर्ष की मेरिट सूची प्रकाशन की तिथि	05–09–2020
5	ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र कालेज की वेवसाईड से डाउनलोड कर पूर्णतः भरकर जमा करने तथा साक्षातकार प्रारम्भ होने की तिथि	06–09–2020 से 09–09–2020 तक
6	स्नातक प्रथम सेमेस्टर शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	17–09–2020
7	स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय से परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के भीतर	
8	शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	01–09–2020

नोट :– स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी प्रारम्भ में केवल श्रेष्ठता (मेरिट) आवेदन पत्र ही भरें। मेरिट सूची में नाम आने के उपरान्त ही ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेवसाइडwww.gdccu.org.inसे डाउनलोड कर पूर्णतः भरकर प्रवेश समिति के सम्मुख साक्षात्कार हेतु उपस्थिति हों।

नोटः विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशानिर्देशानुसार महाविद्यालय के द्वारा उपरोक्त निर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
चिन्यालीसौड, उ0का0